

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2022—आषाढ़ 17, शक 1944

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

क्र. एफ 16-2-2020-बाईस-पं. 2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 54 के खंड (पांच) के साथ पठित धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (पशु वधशाला का विनियमन), नियम, 1998 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा यथाअपेक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अगस्त, 2020 में पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 22 में, उप-नियम (1) में, शब्द “कोढ़” (लेप्रॉसी) का लोप किया जाए.

No. F. 16-2-2020-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with clause (v) of section 54 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), The State Government, hereby, make the following amendment in the Madhya Pradesh Gram Panchayat (Regulation of Slaughter house) Rules, 1998, which has been previously published in the “Madhya Pradesh Gazette” dated 28th August, 2020 as required by sub-section (3) of the section 95 of the said Act, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 22, in sub rule (1), the word “leprosy” shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरपाल सिंह, अपर सचिव.